दिनांक २७-१०-१९९७ को ३ बजे अपराह्न में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय में हुई बोर्ड की स्थगित ३४५वीं साधारण बैठककी कार्यवाही :-

सदस्यों की उपस्थिति -

(१) श्री महेन्द्र नारायण यादव,
मानीय राज्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग - अध्यक्ष

(२) श्री धर्मवीर सिंह - सदस्य

(३) ,, प्राण मोहन ठाकुर, उप सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य

(४) ,, तारक नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य

विशेष आमंत्रण पर उपस्थिति -

(१) श्री जटाधर मिश्र, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदा०

- कार्यवाही -

(१) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करना -

गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करने के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की दिनांक २-८-९७ को हुई ३४४वीं साधारण बैठक की कार्यवाही के प्रथम पृष्ठ पर जिन तथ्यों को जिस प्रकार अंकित किया गया है उसे राज्य सरकार के उद्योग विभाग के विभागीय पत्रांक-६२२७ दिनांक १५-९-९७ तथा बोर्ड के ज्ञाप संख्या - प्र० २०८३ दिनांक २०-९-९७ के आलोक में निम्नलिखित रुप में संशोधित करते हुए सम्पुष्ट किया जाता है - " प्रस्तावित संशोधन - दिनांक २-८-९७ को बोर्ड मुख्यालय में आयोजित ३४४वीं साधारण बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री महेन्द्र नारायण यादव सम्प्रति राज्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा की गई।"

(२) गत बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा -

गत बैठक के निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित निर्णय लिये गये -

१) कंडिका-३(तीन) के सम्बन्ध में निर्णय

लिया गया कि तत्काल इसे स्थगित रखा जाये ।

२) कंडिका-७(सात) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बोर्ड के उक्त निर्णय का कार्यान्वयन त्वरित गति से करते हुए तदनुसार प्रतिवेदन बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

३) कंडिका-८(आठ) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस विषय पर भी त्वरित गति से कार्रवाई करने के उपरान्त वांछित प्रतिवेदन बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

इसी सन्दर्भ में भी निर्णय भी लिया गया कि मूल्य ह्रास कमिटी द्वारा जितने नुकशान माल पर दाम घटाया जा चुका है उन सभी नुकशान माल की बिक्री हेतु केन्द्रीय वस्त्रागार से पटना भवन को प्राप्त करा दिया जाए ताकि उसमें पुन: बोर्ड के विभागीय केन्द्र को नुकसान नहीं उठाना पड़े ।

४) कंडिका-१०(दस) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बोर्ड की स्थापना समिति की बैठक की तिथि शीघ्र निर्धारित कराते हुए आगे की कार्रवाई बोर्ड के निर्णयानुसार शीघ्र की जाए ।

५) कंडिका-१४(चौदह) के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बोर्ड में कार्यालय व्यवहार हेतु नई गाड़ी के क्रय करने के स्थान पर पूर्व से जो दोनों गाड़ी कार्यरत है उसी गाड़ी में यदि आवश्यकता हो तो तदनुसार उसकी मरम्मति कराते हुए उसे भ्रमण में जाने लायक बनाया जाए ।

६) कंडिका - १५(पन्द्रह) के "ख" के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग विकास निगम कार्यालय से जो मधु खराब कहते हुए

11/97 11/11/97

	बोर्ड को वापस कर दिया गया है उसमें मधु के एक बोतल एवं पूर्व से उसी लॉट में उपलब्ध मधु के एक बोतल को लेकर उसकी जाँच रसायन पदाधिकारी से तुरत करा ली जाये।
(३) वित्तीय स्थिति की सूचना-	वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा करने के क्रम में कंडिका-६ (क:) के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से स्थापना खर्च के मद में बोर्ड को प्राप्त धनराशि से विभिन्न मदों में अबतक जितनी राशि का व्यय किया जा चुका है तथा जिसकी सूचना देने हेतु अध्यक्ष जी द्वारा एक पीत पत्र बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है उस पीत पत्र के अनुपालन में संबंधित संचिका बोर्ड के अध्यक्ष जी के पास हर हालत में एक सप्ताह के अन्दर बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी भेज देंगे।
(४) जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी से पूर्व में वापस की गई निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियों को पुन: उनको प्रत्यायोजित करने के संबंध में निर्गत आदेश सं०- ५९२ दिनांक१९-७-९७ तदनुसार ज्ञाप सं०-प्र० १४९८ दिनांक २२-७-९७ को घटनोत्तर स्वीकृति देना-	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(५) बोर्ड के कार्यालय के सामान्य गतिविधि संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष १९९७-९८ में आकस्मिक मद के व्यय एवं यात्रा भत्ता हेतु २०-८२ लाख(बीस लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र को कर्णांकित करने की स्वीकृति देना-	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

(६) गया शहर में स्थित [illegible] मकबरा, पो० रामशिला, थाना-कोतवाली जिला-गया के बोर्ड द्वारा क्रय की गई जमीन की बिक्री करने के सम्बन्ध में -

स्थगित । परन्तु निर्णय किया गया कि बोर्ड के [illegible], गया स्थित उक्त खाली जमीन की अद्यतन स्थिति की सूचना प्राप्त करने हेतु बोर्ड के अध्यक्ष जी कृपया गया प्रवास में जाकर स्वयं वर्तमान स्थिति का मुआयना कर लें। उसके पश्चात् उक्त खाली जमीन की नीलामी।बिक्री हेतु वांछित प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

(७) बोर्ड के ऐसे सेवकों, जिनका प्रस्थापना व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या- ४३८२ दिनांक २-८-९७ के अनुसार दिनांक १-४-९७ के प्रभाव से मूल वेतन का मात्र १०(दस) प्रतिशत प्रतिमाह अन्तरिम सहायता के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति देना -

स्वीकृत । परन्तु राशि का भुगतान बोर्ड के संबंधित सेवकों को स्थापना बजट में धनराशि के प्रावधान को देखकर धनराशि का आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा ।

(८) बोर्ड के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से मानदेय के आधार पर कार्य लेने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति तथा निधि आवंटन हेतु अनुरोध करने एवं तत्काल उक्त व्यवस्था को समाप्त करने की स्वीकृति देना -

संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति इस संशोधन के साथ दी गई कि मानदेय की राशि पर जितने सेवा-निवृत्त पदा०।कर्मचारियों की सेवायें लेखा को अद्यतन करने हेतु प्राप्त की गई हैं, उनसे निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रत्येक सेवा-निवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी को विशिष्ठ रूप से कार्य का बाजाप्ता एवं पृथक-पृथक रूप से आवंटित करते हुए उक्त कार्य का निष्पादन हर हालत में बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अवश्य करा लिया जाये । साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त मानदेय की राशि के मद में बोर्ड को जितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा उस राशि का आवंटन एवं उसकी विमुक्ति करने हेतु राज्य सरकार को वांछित प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय ।

[illegible] 1/11/97

[illegible] 1/11/97

(९) वर्ष १९९७-९८ के लिए जिला में बोर्ड द्वारा संचालित खादी भण्डारों एवं उत्पादन-सह-बिक्री केन्द्रों के लिए माल आपूर्ति कराने के निमित्त स्थानीय तौर पर एक क्रय समिति गठित करने हेतु स्वीकृति देना -	संलेख में अंकित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
(१०)वर्ष १९८७-८८ से वर्ष १९९५-९६ तक प्रस्थापना मद में बकाया राशि १०,६४,१७,१०८।- (दस करोड़ चौसठ लाख सतरह हजार एक सौ आठ रुपये) एवं वर्ष १९९६-९७ में १,५६,४१,४८४।- (एक करोड़ छप्पन लाख एकतालिस हजार चार सौ चौरासी रुपये)के वितरण का विवरणी राज्य सरकार को भेजने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
(११)सहायक लेखा पदाधिकारी (ऋण) के स्थान पर सहायक लेखा पदाधिकारी,स्थापना लेखा,द्वारा बोर्ड के बैंक लेखा का परिचालन की स्वीकृति देना -	संलेख में अंकित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
(१२)खादी एवं ग्रामोद्योग योजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कन्सो-र्टियम बैंक एण्ड क्रेडिट नोट के अन्तर्गत प्राप्त ऋण का उपयोग खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिए एने को स्वीकृति देना-	स्थगित।

- ६

(१३) वर्ष १९९६-९७ के लिए सरकार से उपलब्ध कराया गया ६०(साठ) लाख रु० से बोर्ड में प्राप्त समिति। संस्थाओं एवं बोर्ड के विभागीय केन्द्रों के दावा के भुगतान की स्वीकृति देना -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(१४) बोर्ड की गाड़ी संख्या-बी०ई०क्यू० २९६० की मरम्मति में हुए कुल खर्च १९,०८३-४३ (उन्नीस हजार तिरासी रुपये तैतालिस पैसे) की स्वीकृति के साथ-साथ भुगतान किये गये अग्रिम का समायोजन करने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(१५) बोर्ड कार्यालय के मुख्यालय भवन (महेश भवन) के छत पर विज्ञापन के लिए बोर्ड।होर्डिंग लगाने तथा उक्त हाता के उत्तर पश्चिम कोना पर एक गुमटी किराया पर लगाने के संबंध में स्वीकृति देना -	निर्णय लिया गया कि इस मामले को पुन: विज्ञापन के द्वारा सूचना प्रसारित की जाय एवं उच्चतम दर प्रतिवेदित करने वाले फर्म को होर्डिंग के लिए स्थान का आवंटन करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
(१६) स्वाधीनता दिवस के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित भवनों एवं विभागीय उत्पादन सह बिक्री केन्द्रों के आर्थिक रुप से सुदृढ़ करने के निमित्त कार्यशील पूंजी के मद में बोर्ड के निम्नलिखित केन्द्रों को बोर्ड में उपलब्ध राशि से कुल चालीस लाख रु० की राशि का आवंटन करने के संबंध में -	स्थगित।

1/11/92

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य विषय -</u>

१) बिहार राज्य के पाँच जिलों में योजना मद में उपलब्ध राशि से प्रशिक्षण चलाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
२) राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९८७-८८ से लेकर वर्ष १९९५-९६ तक की अवधि के लिए (१) टी०ए० (२) कन्टीन्जेन्सी (३) अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले वेतन की समतुल्य राशि (४) टाइम बाउन्ड प्रोमोशन के एरियर मद की राशि (५) बोनस की राशि एवं (६) उपदान मद की राशि के मद में इस बोर्ड को कोई राशि का आवंटन एवं उसका भुगतान नहीं करने के बावजूद स्थापना खर्च के एरियर के मद में बोर्ड में उपलब्ध राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तथा सरकारी निदेश के आलोक में प्रत्यावर्तित करते हुए बोर्ड के गैर योजना मद के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों।कर्मचारियों तथा योजना मद के सेवा-निवृत्त कर्मचारी को विभिन्न मदों में अनुमान्य एवं देय राशि के रूप में बोर्ड द्वारा अबतक भुगतान की गई कुल राशि लगभग ८० (अस्सी) लाख का एवं माह दिसम्बर, १९९७	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

तक की अवधि में भुगतान की जाने-
वाली सम्भावित राशि लगभग २०-०० (बीस) लाख रुपये अर्थात् कुल मिलाकर एक करोड़ की राशि को विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि से प्रत्यावर्तित करते हुए भुगतान करने एवं उक्त राशि की मांग राज्य सरकार से करने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में -

३) बोर्ड के पटना भवन के लिए अन्तर प्रान्तीय माल का क्रय करने हेतु क्रय समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों।कर्मचारियों को जयपुर।बीकानेर आदि के प्रवास में जाने हेतु प्राधिकृत किया गया -

(१) श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य
(२) ,, जटाधर मिश्र, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी
(३) ,, धर्मनाथ सिंह, प्रशासी पदाधिकारी, पटना भवन,
(४) ,, राधाकान्त शर्मा, व्यवस्थापक, पटना भवन ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बोर्ड बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

अध्यक्ष

ज्ञापांक ------------------- पटना, दिनांक १९९७ ई० ।

प्रतिलिपि प्रेषित - सभी सदस्यगण, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक ------------------- पटना, दिनांक १९९७ ई० ।

प्रतिलिपि प्रेषित - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई-५६ । (२) निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य कार्यालय, पटना (३) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक ------------- पटना, दिनांक १९९७ ई० ।

प्रतिलिपि प्रेषित - अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग), बिहार सरकार, पटना (२) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक ------------- पटना, दिनांक १९९७ ई० ।

प्रतिलिपि प्रेषित - उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (२) सभी विकास पदाधिकारी (३) सभी प्रशाखा पदाधिकारी (४) सभी सहायक लेखा पदाधिकारी (५) लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार कार्रवाई कर कार्यान्वयन की सूचना शीघ्र दें ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।